वन विभाग हिमाचल प्रदेश
वन वृत रामपुर
वन रक्षकों की भर्ती बारे सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग के रामपुर वन वृत में सरकार द्वारा वन रक्षकों के कुल 23 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना प्रस्तावित है। इन पदों को सरकार द्वारा अनुमोदित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत अनुबन्ध के आधार **(Contract Basis)** व वेतनमान **Rs. (5910-20200 Rs+2000 G.P.)** पर भरा जाना है। अनुबन्ध आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए भर्ती की जाएगी तथा इस अनुबन्ध का आगामी वर्षो में वार्षिक आधार पर नवीनीकरण किया जा सकेगा। भरे जाने वाले पदों का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नलिखित है :–

श्रेणी	अनारक्षित	स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे	भूतपुर्व सैनिक	खिलाडी	गृह रक्षक	आई आर0 डी0 पी0 / बी0पी0एल0	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	कुल योग
1. सामान्य	8	0	2	1	0		2	13
2. अनुसूचित जन–जाति	1	0	0	0	0	0	0	1
3. अनुसूचित जाति	3	0	1	0	0	1	0	5
4. अन्य पिछड़ा वर्ग	2	1	0	0	0	1	0	4
योग	**14**	**1**	**3**	**1**	**0**	**2**	**2**	**23**

नोटः–

1. भूतपूर्व सैनिक **(Ex-Servicemen)** व खिलाड़ी (Sportsman) की भर्ती बारे सम्बन्धित विभागों से अलग से पत्राचार किया जा रहा है।
2. उक्त पदों में अनूसूचित जातियों/ अनुसूचित जन–जातियों/अन्य पिछडे वर्गो और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर इस बावत जारी किए गए आदेशों के अनुसार वृत स्तर पर आरक्षण दिया जाएगा।

आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए सम्पति व आय का मापदण्डः–

1. आर्थिक कमजोर वर्ग के उम्मीदवार की वार्षिक आय जिसमें वेतन कृषि, व्यापार, पेशा इत्यादि को मिलाकर 4 लाख रूपये वार्षिकी से अधिक नही होनी चाहिए।
2. एक हेक्टयर से अधिक, भूमि गांव में और 500 M^2 से अधिक भूमि शहरी इलाकों में नही होनी चाहिए।

3. गांव/शहर में 2500 स्केयर फीट से अधिक रिहायशी मकान/फलैट नहीं होना चाहिए।

4. परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नही होना चाहिए।

5. परिवार का कोई भी सदस्य नियमित/ अनुबन्ध आधार पर किसी भी केंद्रीय सरकार/ हिमाचल सरकार बोर्ड/निगम/और स्वायत्त और सार्वजनिक क्षेत्र इत्यादि में कार्यरत नहीं होना चाहिए।

6. सम्पति व आय प्रमाण पत्र निम्न सक्षम अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

   क. जिलाधीश/ अतिरिक्त जिलाधीश/ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी।

   ख. आवेदक जिस क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है वहॉ के उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) द्वारा जारी हो।

   ग. राजस्व अधिकारी तहसीलदार के नीचे का अधिकारी न हो।

नोटः–

1) अनारक्षित बी0पी0एल0 परिवारों से सम्बन्ध रखने वाले अभ्यार्थी **आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग** के अर्न्तगत आरक्षित पदों के लिए आवेदन कर सकते है इन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित वैध बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया Non-SC/ST/OBC प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. यदि आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग का कोई भी अभ्यार्थी उपलब्ध नही होता है अथवा शारीरिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में उर्तीण नही होता है तो आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग को आरक्षित किया गया पद, अनारक्षित समझा जाएगा और इसे सामान्य वर्ग के अभ्यार्थी से भरा जाएगा।

पात्रता की शर्तेः–

1. अभ्यार्थी भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।

2. आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय से 10+2 या इसके समतुल्य परीक्षा उतीर्ण की हो। अभ्यार्थी वन रक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा/होगी यदि उसने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/सस्थान से दसवी और 10+2 की परीक्षा उतीर्ण की हो। परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों को लागू नही होगी।

3. आवेदक का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में दर्ज होना अनिवार्य है व प्रार्थी का रोजगार पंजीकरण कार्ड आवेदन की तिथि पर वैद्य होना आवश्यक है।

4. आवेदक की आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष से कम व 30 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

नोटः– अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडी जाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट होगी। इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायन निकायों से सम्बन्धित अवेदकों को भी नियमानुसार छुट का प्रावधान है।

वांछनीय अहर्ताऍ

हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दिशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

भर्ती प्रकियाः– भर्ती प्रकिया मे निम्नलिखित तीन परीक्षण होंगे जिनके अंक निम्न तालिका अनुसार हैः–

परीक्षण	**निर्धारित अंक**
शारीरिक दक्षता	(केवल विशेषक)) (Only qualifying)
लिखित परीक्षा	85
मूल्यांकन मापदण्ड	15
योग	**100**

न्यूनतम शारीरिक मापदण्डः–

		पुरुष	**महिला**
1.	लम्बाई	165 सै0मी0	150 सै0मी0
2.	छाती (क) (बिना फुलाए)	79 सै0मी0	74 सै0मी0
	(ख) (फुलाकर)	84 सै0मी0	79 सै0मी0

नोटः– अनुसूचित जन जाति के आवेदकों को लम्बाई में 5 सै0मी0 और छाती के माप में 4 सै0मी0 की छूट होगी।

1. **शारीरिक दक्षता परीक्षण (Physical Efficiency Test) (केवल विशेषक) (Only qualifying)**

वे उम्मीदवार जो उपरोक्त शारीरिक माप दण्ड पूर्ण करते हो उनका शारीरिक दक्षता परीक्षण निम्न तालिका अनुसार किया जाएगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षण (Physical Efficiency Test) (केवल विशेषक) (Only qualifying) हेतू माप दण्ड

दौड़	पुरुष		महिला		(केवल विशेषक) (Only qualifying) दौड़ के लिए कोई अतिरिक्त मौका नही दिया जाएगा।
	दूरी	अधिकतम समय	दूरी	अधिकतम समय	
	100मी0	14सैं	100मी0	17 सै0	
	800मी0	2मि0 45सै0	800मी0	4मि0 15 सै0	
कूद / छलांग	ऊंची कूद / छलांग कम से कम	लम्बी कूद / छलांग कम से कम	ऊंची कूद / छलांग कम से कम	लम्बी कूद / छलांग कम से कम	नोट– प्रत्येक अभ्यार्थी को ऊंची कूद व लम्बी छलांग में अधिकतम तीन मौके दिए जाएगें।
	1.25मी0	4मी0	1मी0	3मी0	

लिखित परीक्षाः–

क. वे उम्मीदवार जो शारीरिक दक्षता के सभी परीक्षणों में उर्तीण होगें, केवल उन्हें ही लिखित परीक्षा **(Written Test)** में बैठनें का अवसर प्रदान किया जाएगा। लिखित परीक्षा की तिथि एवं स्थान बारे उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात सूचित किया जाएगा।

ख लिखित परीक्षा के 85 अंक होंगे। इस परीक्षा में अंग्रेजी व हिन्दी भाषा, दसवीं स्तर का सामान्य विज्ञान व गणित, वन, पर्यावरण एवं वन्य प्राणियों की सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान, तर्क –वितर्क एवं योग्यता (reasoning and aptitude) इत्यादि विषयों के 85 वस्तुनिष्ठ प्रकार (objective type) प्रश्न होगें। लिखित परीक्षा का समय 75 मिनट का होगा। उतर पुस्तिका पर इस्तेमाल करने हेतू प्रार्थी को नीली/काली स्याही का बाल पैन व लिखने के लिए गत्ता लाना अनिवार्य होगा।

मूल्यांकनः–

मूल्यांकन के **15 अंक** हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या No. FFE-A (B)2-8/2017 dated 26.08.2017 के अनुसरण में निम्न तालिका अनुसार दिये जाएंगे।

1.	भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हेतु वरीयता। शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांको की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहतणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है, जो उसे 1.25 अंक (50*0.025=1.25)	2.5 अंक
2.	यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित।	1 अंक
3.	भूमिहीन कटुम्ब/ एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब (संबन्धित राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित)	1 अंक
4.	इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण–पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/ अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है।	1 अंक
5.	40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन।	1 अंक
6.	एन0एस0एस0 (कम से कम एक वर्ष) एन0सी0सी0 में सी0 प्रमाण–पत्र धारक/ भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता।	1 अंक
7.	सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित 40,000/– से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब।	2 अंक
8.	विधवा/तलाक शुदा/ अंकिंचन/एकल महिला।	1 अंक
9.	इकलौती पुत्री/अनाथ।	1 अंक
10.	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण।	1 अंक
11.	सरकारी/अर्धसरकारी सगंठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक)	2.5 अंक

आवेदकों के लिए निर्देशः–

1. भर्ती हेतू इच्छुक आवेदक वन विभाग वेबसाईट **(www.hpforest.nic.in)** पर 06.07.2021 प्रातः 10 बजे से 19.08.2021 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाईन (offline) आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे।
2. आवेदक शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलावा पत्र **(Call letter)** सीधे विभागीय वैबसाईट **(www.hpforest.nic.in)** से **09.09.2021 से 20.09.2021** तक डाउनलोड कर सकते है।
3. यदि शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मुल्यांकन की प्रकिया निर्धारित तिथि को पूर्ण नही होती है तो वह अगले दिन भी जारी रहेगी।

4. आवेदक शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मुल्यांकन मापदण्ड के समय निम्नलिखित मूल व स्वंय सत्यापित दस्तावेज साथ लायें।

क. मैट्रिक एवं 12वीं या समकक्ष पास का प्रमाण पत्र तथा अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

ख. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन–जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग व स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों / पौत्र / पौत्री / आई0आर0डी0पी0 / अन्तयोदय का प्रमाण पत्र। जो कि शारीरिक मापदण्ड एव मुल्यांकन मापदण्ड के समय वैद्य होना आवश्यक है।

ग. एन0सी0सी0 / एन0एस0एस0 / खेल, अन्य पाठ्य सहायक कियाओं में भाग लेने इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

घ. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र

ङ0. रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का वैद्य प्रमाण पत्र।

च. चार प्रतियां पास पोर्ट साईज फोटोग्राफ।

5. यदि प्रार्थी किसी भी परिक्षण के लिए निर्धारित तिथियों को उपस्थित नही होता है, तो उसकी उम्मीदवारी रदद् समझी जाएगी।

6. सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताये / बिना शर्त, इस चयन प्रकिया को समाप्त करने तथा पदों की संख्या में बदलाव का अधिकार रखता है।

7. अनुबन्ध पर नियुक्त अभ्यार्थी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार नही होगा।

8. समस्त भर्ती प्रकिया कोविड सम्बन्धित हालात व इस बारे सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों पर निर्भर करेगी।

भर्ती प्रकिया से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अभ्यार्थी मुख्य अरण्यपाल, वन वृत रामपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर व्यक्तिगत रुप से अथवा दूरभाष न0 01782–233068 पर सम्पर्क कर सकते है।

मुख्य अरण्यपाल,
रामपुर बुशैहर, हि0प्र0,
दूरभाष न0 –01782–233068